अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी अलका बिश्नोई (आर.ए.एस.), उप खण्ड अधिकारी, झुंझुनू

मुकदमा नम्बर 37/12

1. मृतक तनसुखराम पुत्र स्व. हरदेवाराम जाति जाट निवासी श्योपुरा (ढाका का बास) तहसील व जिला झुंझुनू (दौराने वाद मृत्यु दिनांक 23.01.2013)।
1/1 रामनिवास उम्र 54 वर्ष पुत्र स्व. तनसुखराम जाति जाट निवासी श्योपुरा (ढाका का बास) तहसील व जिला झुंझुनू
1/2 प्रमोद उम्र 45 वर्ष पुत्र स्व. तनसुखराम जाति जाट निवासी श्योपुरा (ढाका का बास) तहसील व जिला झुंझुनू
1/3 श्रीमती वेदकोर उम्र 48 वर्ष पुत्री स्व. तनसुखराम जाति जाट निवासी श्योपुरा (ढाका का बास) तहसील व जिला झुंझुनू
2. इन्द्राज सिंह उम्र 72 वर्ष पुत्र स्व. हरदेवाराम जाति जाट निवासी श्योपुरा (ढाका का बास) तहसील व जिला झुंझुनू
3. रामकुमार उम्र 62 वर्ष पुत्र स्व. हरदेवाराम जाति जाट निवासी श्योपुरा (ढाका का बास) तहसील व जिला झुंझुनू

—वादीगण

बनाम

1. श्रीमती कलावती पुत्री पन्नालाल जाति ब्राहम्गण निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू ।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार झुंझुनू।

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा विभाजन एवं स्थाईनिषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता :—
3. श्री राजेश पूनियां एडवोकेट — वादी की ओर से।
4. श्री श्रवण कुमार सैनी — राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 23.10.2017

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है कि जमीन गत खसरा नम्बर 53, 54, 55/2 तादादी 37 बीघा 15 बिश्वा पहले सरहद राजस्व ग्राम ढाणी जोशियान पटवार हल्का मण्डावा तहत तहसील झुंझुनू में स्थित है । उपरोक्त खसरा नम्बरान की जमीन में से खसरा नम्बर 53 व 54 के बाद में बटा नम्बर 53/1 तादादी 5 बीघा 3 बिश्वा, 53/2 तादादी 6 बीघा 2 बिश्वा, 54/1 तादादी 5 बीघा 3 बिश्वा, 54/2 तादादी 11 बिश्वा, 54/3 तादादी 2 बीघा 2 बिश्वा, 54/4 तादादी 1 बीघा 9 बिश्वा कुल किता 6 कुल तादादी 18 बीघा 8 बिश्वा बने । उक्त जमीन में से 1/3 हक हिस्से का टिनेन्ट पहले परसादीलाल पुत्र रामलाल तथा 1/3 हक हिस्से का टिनेन्ट पन्नालाल पुत्र रामलाल उर्फ रामदयाल तथा 1/3 हक हिस्से का टिनेन्ट हिरालाल पुत्र रामलाल था । उक्त पन्नालाल पुत्र रामलाल उर्म रामदयाल ने वाद पत्र में वर्णित 37 बीघा 15 बिश्वा जमीन में से गत खसरा नम्बर 53 व 54 मीन में से 18 बीघा खाम जमीन दिनांक 25.05.1961 को वादीगण नम्बर 1 लगायत 3 के पिता

Scanned by CamScanner

हरदेवाराम ढाका पुत्र चिमनाराम ढाका निवासी श्योपुरा (ढाका का बास) से 1000/– रू.रोकड़ी एक वर्ष के लिए उधार लिये व इस रकम को ब्याज पेटे उपरोक्त 18 बीघा खाम जमीन वादीगण के पिता हरदेवाराम ढाका को काश्त हेतु बता दी जिसको वादीगण के पिता हरदेवाराम ने काश्त किया । उक्त पन्नालाल ने वादीगण के पिता हरदेवाराम को 12 माह बाद 1000/– रू. अदा नहीं किये इस कारण वादीगण के पिता हरदेवाराम ने गत खसरा नम्बर 53 व 54 की जमीन में से 18 बीघा खाम जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ा । माह जून 1962 में बरसात होने पर वादीगण के पिता हरदेवाराम ने उपरोक्त 18 बीघा खाम जमीन को काश्त करने लगा तो उपरोक्त पन्नालाल ने काश्त करने से मना किया लेकिन वादीगण का पिता हरदेवाराम नहीं माना और कहा कि आपने 12 माह के दौरान मेरी रकम अदा नहीं की इस कारण जबरन काश्त करेंगे । इस पर प्रतिवादिया नं. 1 के पिता पन्नालाल ने ग्राम जोशियान की ढाणी एवं मण्डावा के मौजीज व्यक्तियों की मिटिंग में यह तय हुआ कि 2 रोज में पन्नालाल 2000/– रू. वादीगण के पिता हरदेवाराम को अदा करने पर जमीन वापस पन्नालाल वादीगण के पिता हरदेवाराम से प्राप्त कर सकता है वरना पन्नालाल को उक्त जमीन उपरोक्त रूपयों के बदले वादीगण के पिता हरदेवाराम को विक्रय करनी होगी एवं इस बाबत लिखित में लिखावट भी देनी होगी । प्रतिवादिया नम्बर 1 के पिता पन्नालाल ने उपरोक्त 2000/– रू. वादीगण के पिता हरदेवाराम को 2 रोज में अदा नहीं किये । इस कारण उक्त पन्नालाल ने दिनांक 23.08.1962 को गवाह औंकारमल, सरवण, रतीराम गोदू का बास एवं सेवाराम गोदूका बास, चन्द्रभान सिंह ढाका व खींवाराम सरपंच ग्राम पंचायत वाहिदपुरा की मौजूदगी में अपने स्वयं की कलम से उपर वर्णित 18 बीघा खाम के खातेदारी अधिकार वादीगण के पिता हरदेवाराम के हक में त्याग कर दिये । इस प्रकार वादीगण का पिता हरदेवाराम गत खसरा नम्बर 53 व 54 मीन की 18 बीघा खाम जमीन का टिनेन्ट हुआ एवं इसी मुताबिक काबिज काश्त रहा । धारा 2 वादपत्र में वर्णित पन्नालाल एवं उसके भाई परसादीराम एवं हीरालाल की जमीन गत ख्सरा नमबर 53 व 54 मीन के साथ साथ ग्राम ढाणी जोशियान में और भी जमीन थी । उक्त पन्नालाल अपनी हिस्सेदारी की समस्त जमीन अलग अलग व्यक्तियों को विक्रय कर व्यापार करने चला गया । उक्त पन्नालाल का देहांत हो चुका है । उक्त पन्नालाल के प्रतिवादिया नम्बर 1 एक मात्र पुत्री होने के कारण जायज वारिस है । प्रतिवादिया नं. 1 के पिता ने जो 18 बीघा खाम जमीन वादीगण के पिता हरदेवाराम को विक्रय कर खातेदारी अधिकार का हरदेवाराम के हक में त्याग किया उसके अन्य जमीन के साथ साथ हाल खसरा नम्बर 168 रकबा 0.67 है0, 169 रकबा 0.04 है0, 172 रकबा 0.02 है., 173 रकबा 0.75 है0, 191 रकबा 0.09 है0, 214/171 रकबा 0.28 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.85 है0 बने ।

धारा 1 वाद पत्र में वर्णित गत खसरा नम्बर 53 व 54 मीन में से जो 18 बीघा खाम जमीन को वादीगण के पिता हरदेवाराम को विक्रय कर खातेदारी अधिकारों का त्याग किया उसका मैट्रिक प्रणाली के मुताबिक भी लगभग 1.85 हैक्टर के बराबर ही रकबा होता है । दिनांक 25.05.1961 के बाद उक्त 18 बीघा खाम जमीन का लगान भी वादीगण के पिता हरदेवाराम ने लगातार अदा किया । खसरा गिरदावरी सम्वत् 2018 से 2019 व 2020 से 2021 में हरदेवाराम की काश्त दर्ज है तथा असल लगान रसीद है । खसरा गिरदावरी सम्वत् 2031 से 2033 में भी हरदेवाराम की काश्त दर्ज है वैसे भी उक्त पन्नालाल ने दिनांक 25.05.1961 से 12 साल के अन्दर–अन्दर सन् 1973 तक वादीगण के पिता हरदेवाराम को उक्त जमीन से बेदखल कराने के लिए सक्षम न्यायालय में कोई दावा पेश नहीं किया तथा कब्जा छुड़ाने के लिए मियाद खत्म हो गई । इस कारण इस जमीन में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63

Scanned by CamScanner

(4) के प्रावधान के मुताबिक उक्त पन्नालाल के खातेदारी हकुक खत्म हो गये ।

वादीगण के पिता हरदेवाराम का दिनांक 17.11.1995 को देहांत हो गया । उक्त हरदेवाराम के तीन पुत्र वादीगण नम्बर 1 लगायत 3 पैदा हुए । उक्त हरदेवाराम के देहांत होने के बाद उक्त जमीन उत्तराधिकार में संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर वादीगण को प्राप्त हुई । इस प्रकार वादीगण प्रत्येक का जमीन वर्णित धारा 4 वादपत्र में 1/3 हक हिस्सा हुआ एवं इसी मुताबिक काश्त है व काबिज रहे है ।

वादीगण के पिता हरदेवाराम ने असल लिखावट दिनांकित 23.08.1962 बहक हरदेवाराम मिनजानिव पन्नालाल की फोटो प्रति इन्तकाल दर्ज करने वास्ते पटवारी हल्का को दे दी थी । पटवारी हल्का के द्वारा विश्वास दिलाये जाने पर कि आपके नाम इन्तकाल दर्ज हो गया होगा । इस कारण जमीन जैर बहस के राजस्व रिकार्ड की ओर ना तो हरदेवराम ने ध्यान दिया तथा ना ही वादीगण ने ध्यान दिया । इसी कारण उक्त पन्नालाल के देहांत होने के बाद राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने विवादित जमीन का विरासतन इन्तकाल गलती व भूल से प्रतिवादिया नम्बर 1 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया । जमीन जैर बहस में से प्रतिवादिया नम्बरी 1 के नाम बना तमाम राजस्व रिकार्ड Null & void है तथा वादीगण के हक हकुक के विरूद्व निष्प्रभावी है ।

धारा 2 वाद पत्र में वर्णित परसादीलाल एवं हीरालाल के वारिसान एवं पन्नालाल के क्रय करने वाले खातेदारों ने धारा 4 वाद पत्र के साथ अन्य को टिनेन्सी की जमीन का जन सुनवाई शिविर पंचायत समिति झुंझुनू में दिनांक 09.08.2007 को विभाजन कर लिया । जिसमें जमीन वर्णित धारा 4 वाद पत्र विभाजन में प्रतिवादिया नम्बर 1 के नाम गलत रूप से दर्ज हुई है । उक्त विभाजन का इन्तकाल नम्बर 27 भरा जाकर दिनांक 09.08.2007 को स्वीकृत हुआ है । अन्त में वादी ने दावा की रीलिफ के मुताबिक दावा डिक्री करने का निवेदन किया है । दावा पेश होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस मय दावा की नकल तामील हेतु भिजवाई गयी तथा प्रतिवादिया नम्बर 1 बावजूद अखबार में सूचना के न्यायालय में हाजिर नहीं आने के कारण उसके विरूद्व दिनांक 27.08.2012 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने का आदेश पारित किया गया । काफी अवसर देने के बाद भी तहसीलदार झुंझुनू ने कोई जवाब दावा पेश नहीं किया गया तब तहसीलदार झुंझुनू से मौके की रिपोर्ट ली गई । वादी तनसुखराम के देहांत होने के कारण उसके जायज वारिस 1/1 से 1/3 को बतौर कायम मुकाम रिकार्ड पर लिया गया । वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में गवाह पीडब्बलू 1 से पीडब्बलू 3 के मुख्य परीक्षण के शपथ–पत्र पेश किया तथा वादी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–1 से 30 पेश किये ।

बहस वकील वादी सुनी गई । वाद पत्र का एवं उसके समर्थन में पेश किये गए दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । खसरा गिरदावरी सम्वत् 2018 से 2019 व 2020 से 2021 में हरदेवाराम की काश्त दर्ज है एवं असल लगान रसीदे भी दावा के साथ पेश की गई है जिनका अवलोकन किया । उक्त जमीन का लगान तत्कालीन ठिकाना व सरकार को अदा किया है । खसरा गिरदावरियों में वादीगण की काश्त दर्ज है । उपरोक्त कारण से वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । अतः

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि हाल खसरा नम्बर 168 रकबा 0.67 है0, 169 रकबा 0.04 है0, 172 रकबा 0.02 है., 173 रकबा 0.75 है0, 191 रकबा 0.09 है0, 214/171 रकबा 0.28 है0 कुल किता

Scanned by CamScanner

6 कुल रकबा 1.85 है0 राजस्व ग्राम ढाणी जोशीयान पटवार हल्का वाहिदपुरा में से वादी नम्बर 1/1 लगायत 1/3 क्रमशः रामनिवास, प्रमोद व वेदकोर को संयुक्त रूप से 1/3 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी नम्बर 2 इन्द्राज सिंह व वादी नम्बर 3 रामकुमार प्रत्येक को 1/3 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जमीन के राजस्व रिकार्ड से कलावती पुत्री पन्नालाल का नाम हटाया जाकर उपर वर्णित हक हिस्सा के मुताबिक वादीगण का नाम दर्ज किया जावे । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

Scanned by CamScanner